न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 37/2017

1. गुरप्यार सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख उम्र 32 वर्ष निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— — **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1. कौर सिंह पुत्र श्री वीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. प्रेमपाल कौर (पुत्री श्री कौर सिंह) पत्नी श्री लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूद्वारे के पास, अबोरिया ग्राम पंचायत बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रमनदीप कौर (पुत्री श्री कौर सिंह) पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सरदारो का बास, अबोरिया ग्राम पंचायत बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. तरपिन्द्र कौर (पुत्री श्री कौर सिंह) पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी हरिजन कॉलोनी के पास, चक 17 एफ.एफ. ग्रा. पं. 14 एफ. एफ. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री रमेश कुमार अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.04.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 वादी की बहने है। चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 16/20 के मुरब्बा नम्बर 1, 9, 40, 59 की कुल 8.044 हैक्टर कृषि भूमि में वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) के नाम 1.505 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 80/81 के मुरब्बा नम्बर 41, 51 की 0.974 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा यानि 0.243 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीर सिंह) के नाम दर्ज है एवं चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 81/82 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 ता 25 की 5.819 हैक्टर नहरी मय

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

खाला कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 1.455 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीर सिंह) के नाम दर्ज है। चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 16/20 व खाता संख्या 80/81 तथा खाता संख्या 81/82 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिताजी/वादी के दादाजी ने अपनी नेक कमाई से खरीद करके प्रतिवादी संख्या 1 व इनके भाईयो के नाम खरीद करके इन्तकाल संख्या 64, 65, 66, 67 दिनांक 20.11.1978 व इन्तकाल संख्या 91 दिनांक 31.03.1983 द्वारा नाम करवाई एवं वादी के दादाजी से प्राप्त हुई कृषि भूमि के तबादला करने से हुए इन्तकाल संख्या 99 व 100 दिनांक 29.12.1983 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरासतन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रमाणित प्रतिलिपी इन्तकाल संख्या 64, 65, 66, 67 दिनांक 20.11.1978 एवं इन्तकाल संख्या 91 दिनांक 31.03.1983 तथा इन्तकाल संख्या 99 व 100 दिनांक 29.12.1983 संलग्न वाद पत्र है ।

वादी शादी शुदा है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 4 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 3 सी छोटी की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
गुरप्यार सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 16/20 के मुरब्बा नम्बर 1, 9, 40, 59 में प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) के नाम दर्ज 1.505 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.366 हैक्टर। चक 3 सी छोटी, तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 80/81 के मुरब्बा नम्बर 41, 51 की 0.974 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 0.243 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक। चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 81/82 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 ता 25 की 5.819 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 1.455 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक।
कौर सिंह पुत्र श्री वीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 16/20 के मुरब्बा नम्बर 1, 9, 40, 59 में प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) के नाम दर्ज 1.505 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.139 हैक्टर

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 3 सी छोटी की कृषि भूमि में से वादी को 2.064 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई एवं शेष 1.139 हैक्टयर कृषि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कौर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 10.02.2017 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 वादी की बहने होने के कारण पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी तह. श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 16/20, संयुक्त खाता संख्या 80/81 एवं संयुक्त खाता संख्या 81/82 में प्रतिवादी संख्या 1 कौर सिंह पुत्र वीर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित अनुसार वादी (गुरप्यार सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर) की घोषित की जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 08.04.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की पहचान श्री रमेश कुमार अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 3 सी छोटी तहसील

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 16/20 के मुरब्बा नम्बर 1, 9, 40, 59 में प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) के नाम दर्ज 1.505 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.366 हैक्टर व संयुक्त खाता संख्या 80/81 के मुरब्बा नम्बर 41, 51 की 0.974 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 0.243 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक एवं संयुक्त खाता संख्या 81/82 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 ता 25 की 5.819 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 1.455 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक घरेलू बंटवारा अनुसार वादी (गुरप्यार सिंह) को दी हुई है।

अतः चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 16/20 के मुरब्बा नम्बर 1, 9, 40, 59 में प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) के नाम दर्ज 1.505 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.366 हैक्टर व संयुक्त खाता संख्या 80/81 के मुरब्बा नम्बर 41, 51 की 0.974 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 0.243 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक एवं संयुक्त खाता संख्या 81/82 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 ता 25 की 5.819 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 1.455 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक घरेलू बंटवारा अनुसार वादी (गुरप्यार सिंह) के नाम घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत चक 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 16/20 के मुरब्बा नम्बर 1, 9, 40, 59 में प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) के नाम दर्ज 1.505 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.366 हैक्टर व संयुक्त खाता संख्या 80/81 के मुरब्बा नम्बर 41, 51 की 0.974 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 0.243 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक एवं संयुक्त खाता संख्या 81/82 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 ता 25

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

की 5.819 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (कौर सिंह पुत्र वीरसिंह) का 1/4 हिस्सा यानि 1.455 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक घरेलू बंटवारा अनुसार वादी गुरप्यार सिंह के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर